राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0 जयपुर

क्रमांक : सीबी/सीएएस/ओएस/2017/ दिनांक 03.07.17

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय – अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम 86(4) के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत

प्रसंग – निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 325 दिनांक 25.05.17

विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित ही है, राज्य सरकार चिकित्सकों के स्वेच्छा से अनुपस्थित प्रकरणों के संदर्भ में अत्यन्त ही गम्भीर है तथा अनुपस्थित चिकित्सकों को कार्यग्रहण करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

आपके कार्यालयों से अनुपस्थित चिकित्सकों के संदर्भ में प्रेषित सूचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश कार्यालयों ने निर्देशों के पश्चात भी स्वेच्छा से अनुपस्थित चिकित्सकों को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित ही नहीं कराये हैं तथा पूर्व में **(दिसम्बर–16)** प्रेषित सूचना एवं वर्तमान में प्रेषित सूचनाओं में भी अत्यधिक अन्तर प्रतीत हो रहा है। यह अत्यन्त ही गम्भीर लापरवाही है।

अतः राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F.1(4)FD/Rules/2006 दिनांक 12.01.17 जो वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में आपके क्षेत्राधीन अनुपस्थित चिकित्सक को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु किये गये पत्र व्यवहार, समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन आदि की कार्यवाही व अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रत्येक चिकित्सक की **पृथक पृथक पत्रावली तैयार कर दिनांक 10.07.17 तक विज्ञ कार्मिक के साथ निदेशालय को प्रेषित करें** ताकि अनुपस्थित चिकित्सकों को प्रमुख शासन सचिव महोदया द्वारा दिये निर्देश दिनांक 24.05.17 एवं वित विभाग के आदेश दिनांक 12.01.17 के अनुसरण में सेवाएं समाप्ती की कार्यवाही संपादित की जा सके।

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक : सीबी/सीएएस/ओएस/2017/419 दिनांक 03.07.17

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राज0 जयपुर
3. अति0 निदेशक (राजपत्रित) मुख्यालय
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)
5. समस्त सम्बन्धित संयुक्त निदेशक जोन को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही निर्देशानुसार संपादित हो, यह सूनिश्चित करते हुए अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख हे कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करावें।

(डॉ0 वी.के. माथुर)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर